न्यायालय अवर न्यायाधीश प्रथम
सोनपुर सारण।

हकितय वाद सं0– 343 सन् 2006

अशर्फी महतो व अन्य.....वादीगण
बनाम
रामरूप राय व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांकः–
16.03.2020

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है आज अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20.07.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का कथन है कि दिनांक 27.04.2018 को प्रतिवादी ने अपने आवेदन पत्र के पैरा नं0 2 में प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 के नाम जमाबंदी नं0 75 एवं पैरा– 3 में वादीगण के जमाबंदी नं0 238 को स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 ने अपने उक्त जमाबंदी पर कोई दस्तावेज मांगने के लिए पहल नहीं किया है, तब वादीगण ने दिनांक 04.12.2018 को उसकी सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति साक्ष्य में स्वीकार करने के लिए आवेदन दाखिल किया है। वर्तमान परिस्थिति में वादीगण के द्वारा दाखिल सच्ची प्रतिलिपि दोनों जमाबंदी के

प्रतिवेदन जो कि लोक दस्तावेज हैं वह साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायहित में निर्णय के पूर्व भी प्रदर्श अंकित किया जा सकता है।

वादीगण द्वारा दाखिल जमाबंदी प्रतिवेदन प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 के जालसाजी उजागर करने हेतु पारदर्शी साक्ष्य है। अभिलेख पर पक्षों के अभिकथनों के अवलोकन से जाहिर होगा कि प्रतिवादी के नाम भी एक जमाबंदी सं0 75 दिनांक 27.04.2018 को पहली बार बयान किया गया है, लेकिन वादीगण ने अर्जीदावी में रिटर्न के आधार पर जमाबंदी कायम कर लगान अदाय करने की बात कही है। अतः निवेदन है कि सच्ची प्रतिलिपि जमाबंदी जो न्यायहित में सुसंगत साक्ष्य है एवं लोक दस्तावेज है जिसे प्रदर्श अंकित किया जाए।

प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 की ओर से दिनांक 19.11.2019 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि वादीगण का आवेदन खारिज करने योग्य है। वादीगण ने सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श कराने का जो बयान किया है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी प्रतिवादी का साक्ष्य चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण का कोई भी आवेदन प्रदर्श करने व दस्तावेज ग्रहन करने का मंजूरी लायक नहीं है, क्योंकि वादीगण का साक्ष्य बहुत पहले बंद हो चुका है। जबतक इस आदेश का रिकॉल के द्वारा नहीं कराया जाता है तब तक दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में

प्रदर्श अंकित वादीगण की ओर से नहीं कराया जा सकता है। अतः वादीगण के आवेदन दिनांक 20.07.2019 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभी इस वाद में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अभिलेख नियत चला आ रहा है। वादीगण की ओर से जिन दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराने हेतु निवेदन किया गया है वह लिस्ट ऑफ डक्यूमेंट के साथ दस्तावेज को अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है अतः वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अभिलेख पर कथित दस्तावेज को उपलब्ध कराये।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक– 27.04.2020

सब जज प्रथम
सोनपुर सारण।